राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(6)एम.ई./ग्रुप–1/2008 जयपुर, दिनांकः 08 JAN 2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी के पद पर पे–मेट्रिक्स में लेवल–14 (56100–177500) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 39,300/प्रतिमाह की दर पर उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह अभ्यर्थी नॉन एम.बी.बी.एस है। अतः इनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है। :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ0 प्रीति शर्मा पत्नी डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, F-3, 132–133, हारमनी रेजीडेन्सी, कनक विहार, हीरापुरा पावर हाऊस के पास, अजमेर रोड़ जयपुर।	M-01	23.11.1982	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज बीकानेर

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तो, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/ नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन करवा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी–निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(29)भर्ती/गोपनीय/2014–15/225 दिनांक 18.09.2018 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव